

**योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।
आवश्यक सूचना**

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या- 01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर चयनित एवं योजना एवं विकास विभाग के आवंटित किये जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र संख्या- 03/परी0-BTSC-(अधि0) 01-23/2024-16 दिनांक-01.01.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में योजना एवं विकास विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन (Certificate Verification/Counselling) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभा कक्ष, एनेक्सी भवन, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, पटना में दिनांक 22.01.2025 से 29.01.2025 तक संलग्न सूची के अनुसार किया जायेगा।

एतद् द्वारा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. पहचान हेतु आधार कार्ड (आधार कार्ड जारी नहीं होने की स्थिति में/निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र)।
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र दो प्रतियों में (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
3. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
4. Diploma in Engineering का मूल प्रमाण।
5. Diploma in Engineering का सभी वर्षों/ Semester का मूल अंक पत्र।
6. अनुभव प्रमाण पत्र, जो आयोग में समर्पित किया गया है (बिहार राज्य में अवस्थित किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए)।
7. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
8. अगर नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र /सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विरमन पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति में)।
11. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति में)।
12. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
13. चरित्र प्रमाण पत्र (संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत एवं छः माह से पूर्व का नहीं हो)।

14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में)।
15. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के (नाती/नतिनी/पोता/पोती) संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
16. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
17. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। (शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
18. तिलक-दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी शपथ पत्र (मूल प्रति में)।
19. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव का दावा किया गया हो, उन अभ्यर्थियों किये गये कार्यानुभव की संपूर्ण अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन/मानेदय/पारिश्रमिक भुगतान प्रमाण पत्र।
20. नवीनतम पासपोर्ट साईज का 05 (पाँच) रंगीन फोटोग्राफ (फोटों के पीछे नाम, क्रम संख्या एवं Samekit Serial No. लिखना सुनिश्चित करें)।
21. बायोडाटा विहित प्रपत्र में।

उपरोक्त कंडिका-1 से 19 तक में अंकित प्रमाण पत्रों/सभी अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ दो सेट में (छायाप्रति प्रतियाँ बिल्कुल स्पष्ट अंकित हो, धुंधली/अस्पष्ट प्रतियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी) :-

- नोट :-
1. अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) के विरुद्ध विधिसम्मत निर्णय लिया जा सकता है।
 2. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी का किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
 3. किसी प्रकार के टंकण त्रुटि होने पर उसमें सुधार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।
 4. प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित सत्यापन प्रपत्र एवं शपथ पत्र से संबंधित विहित प्रपत्र तथा संबंधित निदेश विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/planning/CitizenHome.html> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
 5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा योजना एवं विकास विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के क्रम संख्या के अनुसार निर्धारित तिथि को वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना है।

अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथिवार क्रम सं० के अनुसार उपस्थित होना है।		
दिनांक (समय 10.00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 06.00 तक)	क्र० सं०	अभ्युक्ति
22.01.2025	01 से 200	25, 57, 64, 94, 106, 111, 115, 120, 131, 142, 189, 194 एवं 199 को छोड़कर
23.01.2025	201 से 400	222, 230, 232, 245, 279, 288, 293, 307, 344, 351, 364, 390 एवं 400 को छोड़कर
24.01.2025	401 से 600	421, 453, 462, 465, 482, 486, 496, 498, 499, 522, 523, 538, 551, 552, 554, 563, 566, 567, 571, 574 एवं 589 को छोड़कर
25.01.2025	601 से 800	636, 714, 729 एवं 737 को छोड़कर
27.01.2025	801 से 1000	919 को छोड़कर
28.01.2025	1001 से 1200	1012, 1151 एवं 1194 को छोड़कर
29.01.2025	1201 से 1273	1245 को छोड़कर
नोट :- बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक) के अंतर्गत सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त/अस्पष्ट/Distance एवं Regular mode अस्पष्ट रहने के कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित क्रम संख्या के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जायेगा।		

ह०/-

(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो०स्था०७/०१-०१/२०२५ / यो०वि०, पटना, दिनांक जनवरी, २०२५
प्रतिलिपि: सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो०स्था०७/०१-०१/२०२५ 144 / यो०वि०, पटना, दिनांक 09 जनवरी, २०२५
प्रतिलिपि: (अनुलग्नक की प्रति सहित) श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त सूचना का प्रकाशन नोटिस एवं बुलेटिन के रूप में आज से दिनांक-29.01.2025 तक आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाय।



सरकार के अपर सचिव

सत्यापन प्रपत्र

(कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु)

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो
यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुल जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)	हिन्दी में :- अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में :-
2	वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव/मोहल्ला /मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क,पोस्ट-ऑफिस, थाना, जिला तथा पिन नम्बर	
3	(क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव/मोहल्ला/मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क, पोस्ट-ऑफिस, थाना, जिला तथा पिन नम्बर	
	(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।	

4	गत पांच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।			
	से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात् गाँव/मोहल्ला/मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क, पोस्ट-ऑफिस, थाना, जिला तथा पिन नम्बर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
	1	2	3	4

5	परिवार के सदस्यों के बारे में सूचना दें :-					
	नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत है तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
	1	2	3	4	5	6
	(क) पिता					
	(ख) माँ					
	(ग) पत्नी/पति					
	(घ) भाई					
	(ङ) बहन/बहनें					

6	उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं :-				
	नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
	1	2	3	4	5

7	राष्ट्रीयता	
	(क) जन्म तिथि	
	(ख) वर्तमान आयु (दिनांक 01.01.2025 तक)	
	(ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गयी आयु	
8	(क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान	
	(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं	
	(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं	
9	(क) आपका धर्म	
	(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग से सम्बद्ध हैं। जिससे सम्बद्ध हो उसका नाम एवं जाति लिखें।	

10	15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखे :-			
	पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कालेजों में प्रवेश की तिथि	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तिथि	कौन सी परीक्षा पास की

11(क)

क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखें सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने का कारण

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी ?

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी ? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया ?

12 (i)

(क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	हाँ/नहीं
(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ?	हाँ/नहीं
(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ?	हाँ/नहीं
(घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है ?	हाँ/नहीं
(ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ?	हाँ/नहीं
(च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ?	हाँ/नहीं
(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ?	हाँ/नहीं
(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ?	हाँ/नहीं
(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ?	हाँ/नहीं
(ट) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ?	हाँ/नहीं
(ठ) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ?	हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे का पूर्ण ब्योरा दें।

(iii) नोट :—(i) कृपया इस प्रपत्र के प्रारम्भ में लिखी चेतावनी को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विनिर्दिष्ट उत्तर "हाँ" (✓) अथवा "नहीं" (x) जैसा भी मामला हो, चिन्हित कर दिया जाय।

13 अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम एवं पता लिखे जो आपको जानते हो तथा पारिवारिक रिश्ते में नहीं हो।

1.

2.

14 मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ/मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के आयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

तारीख.....

स्थान.....

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

अभ्यर्थी ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर अंकित किया है।

वरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा नाम

अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु प्रपत्र (बायोडाटा)
(अभ्यर्थियों द्वारा स्व-हस्तलिपि में भरा जाएगा)

1. अभ्यर्थी का विवरण :-

(क) अभ्यर्थी का नाम :-

(ख) आयोग द्वारा आवंटित पंजीकरण क्रमांक :-

(ग) आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा का क्रमांक(Serial No.)

एवं समेकित क्रमांक (Samekit Serial No.) :-

(घ) आरक्षण कोटि एवं जाति :-

(ङ.) आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षण कोटि :-

2. अभ्यर्थी का पता (जैसा मूल आवेदन में अंकित है)

स्थायी पता	पत्राचार का पता/मोबाईल नं० सहित

3. (क) अभ्यर्थी की जन्म तिथि :-

(ख) दिनांक 01.01.2025 को अभ्यर्थी का उम्र :-

(ग) आधार संख्या :-

उपर अंकित सभी सूचना सही एवं प्रमाणिक है तथा जाँच पत्र के क्रम के अनुसार प्रमाण पत्रों को संलग्न किया गया है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(जाँच समिति के द्वारा भरा जाएगा)

4	मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र संलग्न है ?	हाँ/नहीं
5	शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है ?	
	(i) मैट्रिक	हाँ/नहीं
	(ii) डिप्लोमा	हाँ/नहीं
	(iii) अन्य उच्चतर	हाँ/नहीं
	(iv) अनुभव प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं
6	अभ्यर्थी यदि नियोजित हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) (मूल में) संलग्न है ?	हाँ/नहीं
7	सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है ?	हाँ/नहीं

8	सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए) संलग्न किया है ?	हाँ/नहीं
9	बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु) संलग्न है ?	हाँ/नहीं
10	सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ?	हाँ/नहीं
11	सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र ?	हाँ/नहीं
12	अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ पत्र मूल में संलग्न है ?	हाँ/नहीं
13	तिलक-दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में) संलग्न है ?	हाँ/नहीं
14	सत्यापन प्रपत्र (निर्धारित मूल प्रपत्र) दो प्रति में सूचना संलग्न है ?	हाँ/नहीं
15	पासपोर्ट साईज का पाँच फोटो संलग्न है ?	हाँ/नहीं
16	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है ?	हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 17 में अंकित सूचना एवं प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्र तथा मूल आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ किया और सही पाया/सही नहीं पाया (सही नहीं पाये गये प्रमाण पत्र के संबंध में अपना अभ्युक्ति अंकित करेंगे)।

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
का नाम एवं हस्ताक्षर

कनीय पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर

वरीय पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर

नोट :-

1. प्रपत्र की कंडिका 01 से 03 में वांछित सूचना संबंधित अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरेगा।
2. अभ्यर्थी से जाँच प्रपत्र प्राप्त होने के बाद कंडिका 04 से 16 तक अंकित प्रमाण पत्र की दो-दो स्वअभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त प्रमाण पत्र के लिए 'हाँ' तथा अप्राप्त प्रमाण पत्र के लिए 'नहीं' में चिन्ह (✓) लगावेगा। तदोपरांत अपना हस्ताक्षर जाँच पत्र पर अंकित करेंगे।
3. जाँच दल द्वारा जाँच प्रपत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से की जाएगी तथा सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति पर तदनुसार अपना लघु हस्ताक्षर अंकित करेंगे।
4. अभ्यर्थी का आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो का मिलान मूल आवेदन एवं जाँच पत्र के साथ संलग्न किये गये फोटो से जाँच दल द्वारा किया जाएगा तथा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि मूल आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्र, फोटो का मिलान किया और सही पाया, सही नहीं पाये जाने पर अपना मंतव्य तदनुसार अंकित करेंगे।
5. जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में पाए गए त्रुटियों को अभ्युक्ति में अंकित किया जाएगा।

अभ्युक्ति (यदि हो तो):-

वरीय पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर

The Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

I.....
SO/DO.....aged.....by
caste.....by faith.....by Nationality
Indian by occupation.....resident of
village.....Town.....PO.....P.S.....
.....District.....State.....do here by solemnly affirm and
declare as follows :-

1. That I am permanent resident of the aforesaid village/Town which falls under P.O..... P.S..... District.....
2. That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
3. That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the Honourable Court.
4. That all the documents i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and other certificates filed by me in connections with the recruitment under Bihar Public Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.
5. If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law of Land.

That statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and I sign this.....day.....at

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate.....

Signature of Magistrate.....

Affidavit

I,.....S/O.....resident
of.....
.....do hereby solemnly
affirm and declare as follows :-

1. That I have not taken/ will not take dowry nor given at the time of my marriage hence this affidavit.
2. That the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge & belief.

Deponent's signature

(Note :- Affidavit can take before Sub-Divisional Magistrate/ Executive Magistrate/ Notary public)